(1)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् रामचरण शर्मा व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि. कानोता, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि गंगधार, झालावाड़ एवं श्री नरसीलाल मीणा व्याख्याता अंग्रेजी का राउमावि लालपुर धौलपुर से राउमावि कानोता, जयपुर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध रामचरण शर्मा व्याख्याता, अंग्रेजी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सि. याचिका संख्या 18985/2019 रामचरण शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18985/2019 के संबंध में माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 14.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी रामचरण शर्मा के सम्बंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरित आदेश की पालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के सम्बंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप रामचरण शर्मा राउमावि. कानोता, जयपुर में व्याख्याता, अंग्रेजी के पद पर यथावत पदस्थापित रहेगे एवं राउमावि कानोता, जयपुर में स्थानान्तरित नसरीलाल मीणा व्याख्याता अंग्रेजी का अन्तरिम समायोजन राउमावि पावटा, जयपुर व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर किया जाता है। यह आदेश याचिका संख्या 18985/2019 के अन्तिम निर्णय के अद्याधीन रहेगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चत करें।

(हस्ताक्षर)

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/याचिका सं.18985/रामचरण शर्मा/2019/1 दिनांक : 02/12/2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

एक प्रति प्राप्त की
2.12.19

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर